

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-132/2018/ दिनांक:-  
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
 बून्दी।

विषय:-श्रीमती सोनिया धारवाल, नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत।  
 सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 680 दिनांक 02.08.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के पत्र के क्रम में श्रीमती सोनिया धारवाल, नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि कार्मिका ने पूर्व अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है अथवा नहीं ? की सूचना एवं 01.02.2017 से 31.01.2018 तक अवकाश पर रहने के सम्बन्ध में आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई साथ ही कार्मिका की प्रथम नियुक्ति तिथि एवं जन्म दिनांक भिजवाने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर  
 दिनांक:- 31/10/18

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-132/2018/1533  
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।  
 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राजस्थान जयपुर